ग्राम पंचायत खरगट, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना :–

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत खरगट विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :–

प्रधान :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री चुनी लाल	1.4.2013 से 22.1.2006
2.	श्री राज कुमार	23.1.2016 से 31.3.2016

सचिव :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्रीमति भारती देवी	1.4.2013 से 31.3.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत खरगट के लेखाओं अवधि 4/2013 से 3/2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	5	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष राशि	0.51
2.	6	अनुदान राशियों का अवरोधन	2.48
3.	8	औपचारिकताओं के पूर्ण किए बिना क्रय करना	4.01
4.	13	खाता–ख के ब्याज को खाता–क से अन्तरित किया जाना	0.34

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत खरगट, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री तरवीज कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 14.6.2016 से 18.6.2016 तक पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 3/14, 7/14 व 7/15 तथा 9/13, 7/14 व 8/15 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0 प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत खरगट, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की ₹5000 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : शून्य, दिनांक 18.6.2016 द्वारा सचिव पंचायत खरगट से अनुरोध किया गया। तदानुसार ग्राम पंचायत खरगट के पत्रांक संख्याः 3, दिनांक 25.6.2016 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित किया गया है।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत खरगट द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(1) स्वः स्त्रोत :–

ग्राम पंचायत खरगट के अवधि 4/2013 से 3/2016 स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट–'1'** का संलग्न है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013—14	85000	31164	116164	25089	91075
2014—15	91075	62302	153377	38095	115282
2015—16	115282	21772	137054	36344	100710

(2) अनुदान :—

ग्राम पंचायत खरगट के अवधि 4/2013 से 3/2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट—'ख'** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013—14	438176.59	3341617	3779793.59	3281394	498399.59
2014—15	498399.59	1584859	2083258.59	1554194	529064.59
2015—16	529064.59	485514	1014578.59	766614	247964.59
					₹247965

31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरण:—

क्र0 सं0	हि0प्र0 स्टेट राज्य सहकारी बैंक स्थित सियूंता (खाता सं0)	निधि का नाम	राशि
1.	1910106484	मनरेगा वी0आर0जी0एफ0	शून्य
2.	1910106066	सामान्य	106910
3.	1910100549	एन0पी0ए0	177882
4.	1910100548	आई0ए0 वार्ड	218
5.	1910108540	वी0आर0जी0एफ0	54617
6.	1910100550	13वां वित्तायोग	7820
		जोड़	**₹347447**

अन्तशेष का विवरण :—

(क)	31.3.2016 को वित्तीय स्थिति अनुसार शेष	348675
(ख)	31.3.2016 को बैंक में जमा राशि	347447
(ग)	हस्त राशि	1228

5. पंचायत राजस्व ₹0.51 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :—

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹51213 लाख की वसूली शेष थी।

1. गृहकर :–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	3765	7920	11685	–	11685
2014–15	11685	8420	20105	–	20105
2015–16	20105	8480	28585	–	28585

2. भू–राजस्व कर :–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	4532	4532	9064	शून्य	9064
2014–15	9064	4532	13596	शून्य	13596
2015–16	13596	4532	18128	शून्य	18128

3. मोबाइल टावर :–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं	4000	4000	2000	2000
2014–15	2000	4000	6000	4000	2000
2015–16	2000	5000	7000	2500	4500

4. शराब कर :–

नोटः– वर्ष 2012–13 के बाद शराब कर प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

6. अनुदान ₹2.48 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–'1ख'** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹247965 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

7. निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹8.00 लाख का अनियमित व्यय करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–'3'** में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹8 लाख का व्यय तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

8. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.01 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–'4'** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹400946 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म सं0	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12
2.	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95(1)
4.	मासिक समाधान विवरणी	–	15(1)
5.	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
6.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7.	डाक रजिस्टर	24	61(2)
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)

10. 13वां वित्तायोग से कृत व्यय से ₹0.06 लाख के अधिक भुगतान के बारे में :–

वाउचर संख्या : 8, दिनांक 13.7.2015 के अन्तर्गत मैसज आर0एस0 ट्रेडर्ज समोट को बिल संख्या : 1719, दिनांक 13.7.2015 में वर्णित निर्माण सामग्री का ₹45150 का भुगतान किया गया। अभिलेख की जांच में पाया गया कि उक्त फर्म की निविदा दर से अधिक राशि का भुगतान किया गया व निविदा में वैट आदि का कोई भी वर्णन अंकित नहीं था, जबकि बिल में ₹2150 वैट के रूप में सम्मिलित किए गए थे। अधिक किए गए भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	मद	निविदा स्वीकृत दर ₹	बिल में दर्शाई गई दर ₹	अन्तर ₹	मात्रा (वर्ग फुट)	₹
1.	रेत	30	42	12	162	1944
2.	श्रेत	30	35	5	240	1200
3.	क्रेशर	25	34	9	60	540
4.	वैट					2150
					कुल	**₹5834**

अतः उक्त अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

11. BRGF से ₹2064 के अधिक भुगतान बारे :–

वाउचर संख्या : 33, दिनांक 9/2013 रोकड़ वही पृष्ठ संख्या : 75 के द्वारा मस्ट्रोल का भुगतान ₹30792 दर्शाया गया था अभिलेख की जांच में पाया गया कि मस्ट्रोल द्वारा 172 मजदूरों की मजदूरी ₹150 की दर से ₹25800 दी गई है, जबकि यह मजदूरी ₹138 की दर से देय थी व भुगतान योग्य ₹23736 देय थे। अतः अधिक भुगतान की गई ₹2064 बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹2064 की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

12. सभा निधि तकनीकी सहायक को कमीशन के भुगतान बारे :–

वाउचर संख्या : 92, दिनांक 5.2.2013 के अन्तर्गत श्री संजय कुमार तकनीकी सहायक को कमीशन के रूप में ₹9477 का भुगतान किया गया। अभिलेख की जांच में पाया गया कि तकनीकी सहायक को कमीशन के रूप में सभा निधि से भुगतान अनियमित है। अतः उपरोक्त अनियमित भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व उचित स्त्रोत से वसूली कर वसूली करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

13. खाता–ख में जमा निधियों पर अर्जित ब्याज ₹0.34 लाख को खाता (क) में अनतरित करने बारे :–

हि0प्र0 पंचायती राज नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार खाता– "ख" में जमा निधियों पर अर्जित ब्याज को खाता–"क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उपरोक्त अर्जित ब्याज को अन्तरित नहीं किया गया है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार खाता "ख" में अर्जित ब्याज को खाता "क" में अन्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

खाता "ख" में जमा निधियों पर अर्जित ब्याज ₹34135 का विवरण निम्न प्रकार से है:–

खाता सं0	वर्ष			कुल
	2013–14	2014–15	2015–16	
19010108540	7068	7578	3208	
19010110549	–	4087	8695	
19010110547	–	214	4	
19010106484	1938	745	–	

19010110550	–	–	598	
	₹9006	**₹12624**	**₹12505**	**₹34135**

14. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15. लघु आपत्ति विवरणिका :– अलग से जारी नहीं की गई है।

16. निष्कर्ष :– लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या : फिन(एल0ए0)एच0(पंच)15(vii)2/2016–5535–5538 दिनांकः 21.10.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत
1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–09 को पैरा संख्या 1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा हि0 प्र0
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भटियात, तहसील चम्बा, जिला चम्बा हि0 प्र0
4. सचिव, ग्राम पंचायत खरगट, विकास खण्ड भटियात, तहसील चम्बा, जिला चम्बा हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट "3"

ग्राम पंचायत खरगट विकास खण्ड भटियात, जिला चंबा **पैरा संख्या : 7 में सन्दर्भित**

निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि

सामान्य निधि

कार्य का नाम	**स्वीकृत राशि**
टैंक बाथ रूम ओडी	₹300000
समुदायक भवन गुढाल का निर्माण	₹200000

मनरेगा

कार्य का नाम	**स्वीकृत राशि**
भू–संरक्षण कार्य ठैणु, कीमट चुनी व रोशन की जमीन के साथ	₹150000
भू–संरक्षण कार्य केवल, काहन की जमीन में	₹150000
टैंक बाथरूम ओडी स्वीकृत/अनुमोदित राशि	₹300000

क्र0 सं0	**वा0 सं0/दिनांक**	**विवरण**	**राशि ₹**
1.	24 व 25, जुलाई 2013	हि0प्र0 सिविल सप्लाई कारपोरेशन से बिल नंबर 3750 व 3751 के अन्तर्गत खरीदा गया था। 40 बैग सीमेण्ट दर 268.50, 32 बैग जारी किए गए राशि ₹8592 बकाया 8 बैग	8592
2.	29, 6.9.2013	रेत की सप्लाई मात्रा 147 फुट दर ₹80 प्रति फुट	11760
3.	30, 6.9.13	30 बैग सीमेण्ट की ढुलाई दर ₹110 प्रति बैग	3300

नोटः– उपरोक्त कार्य के लिए वकस लैजर में 32 बैग जारी किए गए, लेकिन ढुलाई 30 बैगों की दर्शाई गई थी। इस प्रकार सीमेण्ट के दो बैगों की वसूली ₹537 दोषी से वसूल कर पंचायत निधि में जमा करवानी सुनिश्चित की जाए।

सामान्य निधि

कार्य का नाम	**स्वीकृत राशि**
समुदायक भवन गुढाल का निर्माण स्वीकृत/अनुमोदित राशि	₹200000

क्र0 सं0	वा0 सं0/दिनांक	विवरण	राशि ₹
1.	34, 7.8.2015	80 फुट बजरा सप्लाई पर खर्च दर ₹150 प्रति फुट	12000
2.	35, 7.8.2015	290 वर्ग फुट शटरिंग का खर्च दर ₹45 प्रति वर्ग फुट	13050

समुदायक भवन गुढाल का निर्माण ₹200000

<u>मनरेगा</u>

कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
भू–संरक्षण कार्य ठैणु, कीमट चुनी व रोशन की जमीन के साथ	₹150000
भू–संरक्षण कार्य केवल, काहन की जमीन में	₹150000
टैंक बाथरूम ओडी स्वीकृत/अनुमोदित राशि	₹300000

<u>मनरेगा</u>

कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
भू–संरक्षण कार्य ठैणु, कीमत, धुनी व रोशन की जमीन के साथ स्वीकृत/अनुमोदित राशि	₹150000

क्र0 सं0	वा0 सं0/दिनांक	विवरण	राशि ₹
1.	<u>45,</u> 23.9.2013	मस्ट्रोल का खर्च	34776

<u>कार्य का नाम</u>	स्वीकृत राशि
भू–संरक्षण कार्य केवल, काहन की जमीन में (स्वीकृत/अनुमोदित राशि)	₹150000

क्र0 सं0	वा0 सं0/दिनांक	विवरण	राशि ₹
2.	<u>49,</u> 29.9.2013	पत्थर के काडों की सप्लाई पर खर्च	4800

परिशिष्ट ''4''

ग्राम पंचायत खरगट विकास खण्ड भटियात, जिला चंबा पैरा संख्या : 8 में दर्शित

औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

क्र0 सं0	वा0 सं0/दिनांक	खर्चे का विवरण	राशि
1.	42/9.7.14	पत्थर काडे पर खर्च	6000
2.	43/9.7.14	रेत व बजरी पर खर्च	9150
3.	45/9.7.14	बजरी पर खर्च	7950
4.	52/9.7.14	बजरी पर खर्च	7950
5.	54/9.7.14	बजरी व रेत पर खर्च	15000
6.	55/9.7.14	बजरी पर खर्च	4500
7.	33/9.7.14	कम्प्यूटर की रिपेयर पर खर्च मैसर्ज महाजन कम्यूनिकेशन चुवाड़ी बिल नंबर 4296, दिनांक 7.8.2015	9200
		कुल	**₹59750**

निधि का नाम :– B.R.G.F बी0आर0जी0एफ0

क्र0 सं0	वा0 सं0/दिनांक	खर्चे का विवरण	राशि
1.	60, 27.1.14	मैसर्ज सुपर स्टील एवं रबड़ इण्टस्ट्रीज जसूर के बिल संख्या : 996, दिनांक 27.1.2014 में वर्णित महिला मंडल के लिए खरीदा गया फर्नीचर व दरीयां आदि	38675
2.	20, 11.8.15	मैसर्ज सुपर स्टील एवं रबड़ इण्टस्ट्रीज जसूर के बिल संख्या : 497, दिनांक 11.8.2015 में वर्णित राजकीय प्राईमरी स्कूल गढाल के लिए फर्नीचर आदि की खरीद	55009
3.	21, 11.8.15	मैसर्ज सुपर स्टील एवं रबड़ इण्टस्ट्रीज जसूर के बिल संख्या : 495, दिनांक 11.8.2015 में वर्णित खरीदा गया फर्नीचर	25025
4.	22, 11.8.15	मैसर्ज सुपर स्टील एवं रबड़ इण्टस्ट्रीज जसूर के बिल संख्या : 496, दिनांक 11.8.2015 में वर्णित खरीदी गई स्टील की अल्मारी	5687

5.	51, 7.11.13	मैसर्ज नैटकोम कम्प्यूटर्ज कांगड़ा के बिल संख्याः 795, दिनांक 7.11.2013 में वर्णित H.P. Intel लैपटॉप की खरीद	45000
6.			169396

निधि का नाम :– मनरेगा

क्र0 सं0	वा0 सं0/दिनांक	विवरण	राशि
1.	50, 25.9.13	मैसर्ज संजय हार्डवेयर स्टोर छतरी के बिल संख्या 4724, दिनांक 25.9.2013 के अन्तर्गत 1720k.g क्रेट की तार दर ₹63 प्रति किलो	111800
2.	3, 3.6.13	मैसर्ज कार्डलाईन सोलर प्राईवेट लिमिटिड के बिल संख्याः 013, दिनांक 25.7.2015 के अन्तर्गत खरीदी गई 2 सोलर स्ट्रीट लाईटें	60000
			₹171800
		पृष्ठ 1 से 3 कुल योग	**₹400946**